रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2011/वैशाख 23, 1933
No. 862] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2011/VAISAKHA 23, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

का.आ. 1059(अ).— राष्ट्रपति ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 2), 10 मई, 2011 को प्रख्यापित किया है, जो उक्त तारीख से प्रवृत्त हो गया है;

2. और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अधिनियम 32)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्यादेश कहा गया है) के प्रारम्भ की तारीख से ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिक्रांत हो गई और परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दए;

3. और धारा 3 की उप-धारा (2) में (जिसे उक्त अध्यादेश द्वारा अंत:स्थापित किया गया है) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, आयुर्विज्ञान परिषद् का, परिषद् के अधिक्रांत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठन किया जाना अपेक्षित था।

4. और उक्त अध्यादेश द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (2010 के अधिनियम 32 द्वारा यथासंशोधित) की धारा 3 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि को एक और अवधि तक बढ़ा दिया गया है और उक्त विसतार द्वारा परिषद के शासी बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष तक विस्तारित है।

5. और परिषद के अधिक्रांत होने पर और जब तक नई परिषद् पुनर्गठित नहीं हो जाती तब तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का अनुपालन करने के लिए शासी बोर्ड के गठन की अपेक्षा की जाती है;

6. अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले शासी बोर्ड का गठन करती हैं, अर्थात:-

1. प्रो. के.के. तलवार, पूर्व निदेशक, पीजीआई, चंडीगढ़
2. प्रो. के.एस.शर्मा, निदेशक शैक्षणिक (टीएमसी) तथा प्रो. एवं अध्यक्ष, एनेस्थिसियोलोजी विभाग, टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई।
3. डा. (प्रो.) हरभजन सिंह रिसम, निदेशक, क्लीनिकल हृदय विज्ञान तथा वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलाजिस्ट, मैक्स हार्ट तथा वैस्कुलर इंस्टीट्यूट, दिल्ली।
4. डा. राजीव चिंतामन येरावडेकर, डीन, फैकल्टी आफ हैल्थ साइंसेज, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे
5. डा. पुरूषोत्तम लाल, निदेशक, इन्टरवेंशनल कार्डियोलॉजी, चेयरमैन, मैट्रो ग्रुप हॉस्पीटल्स

7. शासी बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

8. शासी बोर्ड का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए या नई भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का पुनर्गठन करने तक इनमें जो भी पूर्वतर हो, होगा।

[फा. सं. वी.-11011/2/2010-एमईपी-I]

केशव देसिराजू, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Health and Family Welfare]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2011

S.O. 1059(E).—WHEREAS, the President promulgated the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance 1of 2011) on 10th May, 2011 (hereinafter referred to as the said Ordinance), which came into force on the said date;

2. AND WHEREAS, on and from the date of commencement of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2010 (Act 32 of 2010) (hereafter referred to as the said Act), the Medical Council of India stood superseded and the President, Vice-President and other Members of the Council vacated their offices;

3. AND WHEREAS, sub-section (2) of section 3A (as inserted by the said Act) required the Medical Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) within a period of one year from the date of supersession of the Council;

4. AND WHEREAS, by the said Ordinance the period of one year specified in sub-section (2) of section 3A of the Indian Medical Council Act,1956 (as amended by Act 32 of 2010) have been extended to another one year and by the said extension the term of the Board of Governors of the Council stands extended to two years;

5. AND WHEREAS, until a new Council is reconstituted, the Board of Governors is required to be reconstituted by the Central Government to exercise the powers and perform the functions of the Council under the said Act;

6. AND WHEREAS, until a new Council is reconstituted, the Board of Governors is required to be reconstituted by the Central Government to exercise the powers and perform the functions of the Council under the said Act;

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government hereby reconstitutes the Board of Governors consisting of the following persons as its Chairperson and other Members, namely:-

1. Professor K.K.Talwar, former Director, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh - Chairman.
2. Professor K.S.Sharma, Director Academics (TMC) and Professor and Head, Department of Anesthesiology, Tata Memorial Centre, Mumbai - Member.
3. Dr (Prof) Harbhajan Singh Rassam, Director Clinical Cardiac Sciences and Senior Interventional Cardiologist, Max Heart and Vascular Institute, Delhi - Member.
4. Dr Rajiv Chintaman Yeravdekar, Dean, Faculty of Health Sciences, Symbiosis International University, Pune - Member.
5. Dr Purushotham Lal, Director Interventional Cardiology, Chairman, Metro Group of Hospitals - Member.

7. The Chairperson and other Members of the Board of Governors shall hold office during the pleasure of the Central Government.

8. The term of office of the Board of Governors shall be for a period of one year or till a new Medical Council of India is reconstituted, whichever is earlier.

[F.No. V.-11011/2/2010-MEP-I]

KESHAV DESIRAJU, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.